प्रकीर्ण वाद संख्या–109/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 428/2016)
काशीराम आदि बनाम सुरजीत सिंह आदि,

25.09.2020

3 बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण काशीराम एवं श्रीमती सुधा रानी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी ने न्यायाधिकरण में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कर दी है। प्रार्थीगण उक्त जमाशुदा धनराशि उठा पाने के अधिकारी है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई है न ही विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त याचिका में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने समर्थन में 4 सी2 शपथपत्र प्रार्थी काशीराम, प्रार्थीगण के आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं.428/2016 काशीराम आदि बनाम सुरजीत सिंह आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी काशीराम ने शपथपत्र 4 सी2 में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। मूल पत्रावली पर उपलब्ध एम.ए.सी.पी. सं. 428/2016 में पारित निर्णय दिनाँकित 30.07.2020 के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में मुब. 7,36,860/– रु. मय 7.5 प्रतिशत ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण को दिलाए जाने हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से आधी धनराशि मुब. 3,68,430/–रु. विपक्षी सं. 1, 2 व संयुक्तः विपक्षी सं.4 द्वारा देय है तथा आधी धनराशि मुब. 3,68,430/–रु. विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा अदा होनी है। प्रार्थीगण को उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि बराबर–बराबर भाग में प्राप्त होनी है तथा प्रत्येक को अपने हिस्से की प्राप्त होने वाली धनराशि में से 75 प्रतिशत भाग उनके नाम 5 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है तथा प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25 प्रतिशत की धनराशि वह आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त करेगें। प्रपत्र सं.10 सी1 बीमा कम्पनी का प्रार्थनापत्र/सूचना व 11 सी1 कार्यालय की आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी ने अपने भाग की आधी धनराशि मय ब्याज मुब. 4,56,223/–रु. द्वारा न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक के खाते में जमा की गई है। अतः प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण प्रस्तुत याचिका में विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मुब. **4,56,223**/–रु. में से आधी–आधी धनराशि मय अब तक अर्जित ब्याज को प्राप्त करने के अधिकारी है, जिसमें से उनकी प्रत्येक की 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की धनराशि उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 5 वर्ष की सर्वोच्च ब्याज देने वाली सावधि जमा में जमा किये जाने योग्य है तथा वह प्रत्येक 25–25 प्रतिशत धनराशि जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी.सं. 428/2016 (प्रकीर्ण वाद सं.109/2020 काशीराम आदि बनाम सुरजीत सिंह आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर देंः–

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+ (%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1.Kashiram	171083	37.50	FD for 5 Years	–––	Any Nationalized Bank	————
1.Kashiram	57028	12.50	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010 009711	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB 0009235
2. Shudha Rani	171083	37.50	FD for 5 Years	–––	Any Nationalized Bank	————
2. Shudha Rani	57029	12.50	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010 009726	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB 0009235
Total	**456223**	**100**				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। 3 बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.09.29 19:35:22 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Clim Tribunal
Jhansi